संख्याः शिक्षा–एच0ई0(8)ए(1).विविध
उच्चतर शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिमला--171001 ,2022

प्रेषक,

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
02 AUG 2022
शिमला - 1

निदेशक (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान दण्डनीय अपराध है।

सेवा में
समस्त प्राचार्य सरकारी / गैर सरकारी / संस्कृत महाविद्यालय
समस्त उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

विषयः "हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत एक पहल।"

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि "हर घर तिरंगा" अभियान के अन्तर्गत नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसका उद्देश्य लोगों के हृदयों में देशभक्ति की भावना को जगाना है तथा उन आदर्श व्यक्तियों का स्मरण करना है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण व आज़ादी के लिए अथक परिश्रम किया।
इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य हैः –

1. घरों पर फहराये जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज का आकार 3:2 में होगा। ध्वज फहराते समय झण्डा अधिनियम 2002 का पालन सुनिश्चित किया जाये। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दण्डनीय अपराध है।
2. यह अभियान तीन चरणों में किया जाना सुनिश्चित कीजिये।
3. हिमाचल प्रदेश के समस्त विद्यालयों / महाविद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा के अंतर्गत 12 अगस्त 2022 को रैली का आयोजन किया जायेगा। इस रैली में नवीं कक्षा से ऊपर के सभी विद्यार्थी एक साथ आयेंगे।
4. सुनिश्चित करें कि रैली आधा किलोमीटर / एक किलोमीटर से अधिक न हो।
5. सभी उप–निदेशक, उच्चतर शिक्षा व महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित करें कि अपने–अपने स्थल से एक किलो मीटर की परिधि क्षेत्र के विद्यार्थी रैली निकालने के बाद एक स्थान पर एकत्रित हों जहाँ रैली को सम्बोधित किया जा सके।
6. रैली में पानी / चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें जिसमें कुछ प्रध्यापकों को भी शामिल किया जाये।
7. यह रैली समस्त प्रदेश में एक साथ निकाली जाये।

958
03/8/22
DDHE
Fwd to all schools
Urgent..
G-II for further n/a & strict compliance.
03/08/2022

कार्यक्रम का पहला चरण : एक से दस अगस्त तक।

1. सभी शिक्षण संस्थानो मे शिक्षक बच्चों को इस अभियान से परिचित करवायेंगे इस कार्य हेतु वाद–विवाद, भाषण, चित्रकला, देशप्रेम गीत प्रश्नोतरी, कविता–पाठ, निबन्ध लेखन, नारा लेखन, झण्डानिर्माण, आदि प्रतियोगिताएं करवायें।
2. इस अभियान में अभिभावकों, भूतपूर्व छात्रों, एस०एम०सी०, पी०टी०ए० आदि संस्थाओं को भी जोड़े।
3. भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की जागरुकता हेतु पोर्टल को बनाया गया है जो https://harghartiranga.com है जिसकी जानकारी सभी को दें। अतिरिक्त एवं विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
4. छात्रों, शिक्षकों , अभिभावकों को प्रेरित किया जाये कि वह अपने घरों के आसपास के पांच घरों पर तिरंगा फहराने में अपना योगदान दें।

कार्यक्रम का दूसरा चरण: 11 से 15 अगस्त तक ।

1. युवाक्लब, एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स रेंजर्स के विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जायेगी। इसमें उनके साथ अध्यापकों की ड्यूटी भी लगाई जाये। पानी एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित की जाये।
2. 12 अगस्त 2022 को निर्देशानुसार हर घर तिरंगा रैली निकाली जाये।
3. विद्यार्थी एवं प्राध्यापक/अध्यापक अपने–अपने घरों पर तिरंगा फहरायेंगे।
4. तिरंगा फहराने के बाद उसके साथ अपनी सैल्फी खींच कर हर घर तिरंगा पोर्टल पर https://harghartiranga.com अपलोड करेंगें।

कार्यक्रम का तीसरा चरण: 15 अगस्त के बाद

1. तिरंगे झण्डों को सुरक्षित स्थानों पर रखना सुनिश्चित करें।
2. राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दण्डनीय अपराध है। इसमें हर व्यक्ति को जागरुक करना सुनिश्चित करवायें।

"हर घर तिरंगा" –आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत एक पहल कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ।

डॉ अमरजीत कुमार शर्मा
निदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः सम शिमला–171001 ,2022

सूचनार्थ और अग्रिम कार्यवाही हेतुः

1 प्रधान सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
2 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक।
3 संयुक्त निदेशक निरीक्षण, निदेशालय शिक्षा विभाग।
4. समस्त प्राचार्य सरकारी/ गैर सरकारी विद्यालय।
5. तकनीकी अधिकारी, IT शाखा, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. रक्षक नस्ति।

निदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः ईडीएन–यू (जी–II) विविध/2021/– 1616 03 अगस्त, 2022
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक उच्चतर ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

प्रतिलिपिः–

1 शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है ।

2 समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक राजकीय/अराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशालाएं जिला ऊना को सूचनार्थ एंव निर्देश दिए जाते हैं, कि दिनांक 12–8–2022 को रैली का आयोजन किया जाएगा तथा जिसमें नवमीं से बारहवी कक्षा के सभी विद्यार्थी भाग लेगें । स्कूल के सभी हाऊस (House) के कैप्टन छात्र/छात्रा, एनएसएस के छात्र/छात्रा तथा एनसीसी के सीनियर कैडट के पास एक एक तिरंगा दिया जाए तथा साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि तिरंगें का अपमान ना किया जाए क्योंकि यह दण्डनीय अपराध है तथा साथ में संलग्न शिक्षा निदेशालय के पत्र में दर्शाय गए सभी दिशा निर्देशों का कढाई से पालन करें । इसके अतिरिक्त निर्देश दिए जाते है कि उना उपमण्डल के अन्तर्गत पाठशालाओं को छोडकर अन्य समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक अपने अपने उपमण्डल अधिकारी से तिरगें प्राप्त करने हेतु अपनी अपनी मांग शीध्रातिशीघ्र देना सुनिश्चित करें ।

शिक्षा उप–निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)